

an>

Title: Regarding situation arising out of issues of recent government formation in Arunanchal Pradesh.

श्री निनोंग इरिग (अरुणाचल पूर्व) : सभापति जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। सरकार ने सबका साथ-सबका विकास और कॉर्पोरेटिव फेडरेशन का नारा लगाया है, खासकर हमारे उत्तर-पूर्वी राज्यों के जो हालात हैं, मैं उस पर कुछ कहना चाहता हूँ। अरुणाचल प्रदेश में अभी हाल ही में जो घटना घटी, वह एक उदाहरण है, जिससे पूजातंत्र पर धब्बा लगा है। राष्ट्रपति जी ने 'मिनीमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस' की बात कही है, यह घटना जो वहां घटी, पूजातंत्र के मुंह पर एक तमाचा जड़ा गया है इसलिए यह घटना सही है या गलत, मैं इसमें नहीं जाना चाहता। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि वहां के महामहिम गवर्नर ने जिस प्रकार से केन्द्र सरकार की मदद से राज्य सरकार को गिराने का षड़यंत्र रचा और कामयाब भी हुए...(व्यवधान) सरकार ने वहां नियमों की धजियां उड़ा दीं ...(व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): .यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विवाशयीन है इसलिए इस पर चर्चा नहीं

हो सकती।

श्री निनोंग इरिग : जो संविधान का टेंथ शिडशूत है, उसे वहां खत्म कर दिया गया है।...(व्यवधान) आप देखें कि कैसे सांप और नेवला एक साथ एक बिल में रह सकते हैं...(व्यवधान)

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : यह मामला कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट ने यह डिस्मिज्ज दिया है।

श्री निनोंग इरिग : मेरी बात अभी समाप्त नहीं हुई है और न ही मैं ईल्ड कर रहा हूँ। मुझे मालूम है कि यह मामला अभी सब-जूडिस है, लेकिन वहां कैसे सरकार बनाई गई, सरकार बनी तो उसे मुबारकबाद, लेकिन यहां अगर हम, बीजेडी और अन्य लोग राजनाथ सिंह जो प्रधान मंत्री बनाने के लिए सपोर्ट करें, तब क्या होगा। आपने वहां संविधान के टेंथ शिडशूत को खत्म कर दिया है। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि उसने संविधान के प्रति जो नकारात्मक काम किया है, वह सही है या नहीं? मैं कहना चाहूंगा कि राज्यपाल का निर्णय क्या ठीक था या नहीं, वह आप देखें।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : राज्यपाल के नाम को रिकार्ड से डिलीट कर दिया जाए।

HON. CHAIRPERSON : The name should be deleted.